


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 9, 2015/कार्तिक 18, 1937

No. 365]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 9, 2015/KARTIKA 18, 1937

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 4 नवम्बर, 2015

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) (संशोधन) विनियम, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/19/109/2015— बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 26(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2000 में संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) (संशोधन) विनियम, 2015 के नाम से जाने जाएँगे।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2000 के विनियम 9 का संशोधन धारा 9(i) को हटाकर किया जाता है। संशोधित विनियम 9 निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

"विज्ञापनकर्ता की पहचान

9. बीमे के लिए प्रत्येक विज्ञापन में बीमाकर्ता/ मध्यवर्ती/ बीमा एजेंट का पूरा पंजीकृत नाम प्रकट किया जाएगा।"

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./161/15/(251)]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 4th November, 2015

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Advertisements and Disclosure) (Amendment) Regulations, 2015

F. No. IRDAI/Reg/19/109/2015 - In exercise of the powers conferred by Section 26(1) of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Insurance Regulatory and Development Authority of India, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations to amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2000 namely:—

Short Title and commencement

1. (1) These Regulations may be called Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Advertisements and Disclosure) (Amendment) Regulations, 2015.
(2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Regulation 9 of IRDA (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2000 is amended by omitting Section 9(i). The amended Regulation 9 shall be read as under :

“Identity of advertiser

9. Every advertisement for insurance shall state the full registered name of the insurer/intermediary/insurance agent.”

T. S. VIJAYAN, Chairman
[ADVT-III/4/Exty/161/15/(251)]